प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 25.07.2025

थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 02 वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिण्डन जोन, कमि0 गाजियाबाद श्री निमिष पाटील के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपराध नियंत्रण हेतु थाना इन्दिरापुरम पर समाज विरोधी क्रियाकलापो में लिप्त 03 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध 2/3 उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 का अभियोग पंजीकृत किया गया। उक्त कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों में अकुंश लगेगा।

अभियुक्तगण द्वारा लूट व चोरी जैसे जघन्य अपराध कारित कर अवैध रूप से भौतिक व आर्थिक लाभ अर्जित करने करने वाले उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर मु0अ0सं0 859/25 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलापों (निवारण) अधि0 1986 बनाम 1-गणेश, 2-रवि शर्मा तथा 3-सचिन गौतम उर्फ सचिन कुमार पंजीकृत कराया गया।

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग मे अभियुक्त 1- रवि शर्मा पुत्र जयप्रकाश निवासी ए 677585 घिडौली जी0डी0 कालौनी मयूर बिहार फेस 3 थाना गाजीपुर दिल्ली व 2- सचिन गौतम उर्फ सचिन कुमार पुत्र लालाराम निवासी 105 सी पाकेट डी -1 मयूर बिहार फेस 3 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली को समय 07.35 बजे मेवाड कालेज के सामने से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त व उनके साथियो द्वारा गिरोह बनाकर लूट व चोरी जैसे संगीन अपराध कारित किये गये है।

इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम व पता	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोगों की संख्या
1	गणेश पुत्र निरोत्तम सिंह निवासी ए 585 घिडौली जी0डी कॉलोनी मयूर बिहार फेस-3 थाना गाजीपुर दिल्ली 96 मूल पता ग्राम राजोर थाना अनूपशहर जिला बुलन्दशहर उम्र 26 वर्ष	लूट, चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 363/2025	5

2	रवि शर्मा पुत्र जयप्रकाश निवासी ए 677585 घिडौली जी0डी0 कॉलोनी मयूर बिहार फेस 3 थाना गाजीपुर दिल्ली 96 उम्र 36 वर्ष - (गिरफ्तार)	लूट, चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 363/2025	4
3	सचिन गौतम उर्फ सचिन कुमार पुत्र लालाराम निवासी 105 सी पॉकेट डी -1 मयूर बिहार फेस-3 थाना न्यू अशोक नगर दिल्ली 96 (गैग सदस्य) उम्र 29 वर्ष - (गिरफ्तार)	लूट, चोरी जैसे अपराधों से संबंधित डी – 363/2025	4

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

दिनांक 16.07.2025 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त पारूल पांचाल द्वारा वादी के पुत्र को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर जान से मारने का प्रयास करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल धारा 109(1) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 24.07.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त पारूल पांचाल उर्फ भारतभूषण पुत्र मूलचन्द्र निवासी मैन नाला रोड संगम विहार प्रिया स्कूल के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को थाना लोनी क्षेत्र से0 गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरा पीडित से पैसों के लेन-देन को लेकर वाद-विवाद हो गया था जिस कारण मैंने गुस्से में आकर पीडित के ऊपर फायरिंग कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

पारूल पांचाल उर्फ भारतभूषण पुत्र मूलचन्द्र निवासी मैन नाला रोड संगम विहार प्रिया स्कूल के पास थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम ।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 09 मोबाइल फोन बरामद ।

दिनांक 24.07.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी श्री सनी त्यागी निवासी संजय कॉलोनी राधेश्याम फेस- 02 थाना मुरादनगर गाजियाबाद द्वारा सूचना दी गयी कि दिनांक 15.07.2025 को मेरे घर से किसी अज्ञात चोर द्वारा 01 मोबाइल फोन चोरी कर ले जाना । जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल अन्तर्गत धारा-305(a) BNS के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया ।

तत्पश्चात आज दिनांक 25-07-2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा निरीक्षण घटना स्थल एवं आस-पास सीसीटीवी कैमरों की फुटेज व मैनुअल इनपुट आदि के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त अरमान पुत्र यामीन निवासी आदर्श कॉलोनी सुनहरी मस्जिद के पास किरायेदार मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर रावली रोड थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से उपरोक्त घटना से सम्बन्धित चोरी का 01 मोबाइल फोन तथा भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किये गये 08 अन्य मोबाइल फोन बरामद हुये । उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा-317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त अरमान उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि 01 मोबाइल फोन संजय कॉलोनी राधेश्याम फेस-2 में स्थित एक घर से चोरी किया था तथा अन्य 08 मोबाइल फोन मैंने भिन्न-भिन्न स्थानों से चोरी किये थे आज मैं इन मोबोइल फोन को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अरमान पुत्र यामीन निवासी आदर्श कॉलोनी सुनहरी मस्जिद के पास किरायेदार मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष ।

बरामदगी विवरण

कब्जे से चोरी के 09 मोबाइल फोन बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर चोरी के कुल 07 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।